

87 58/20

7426/3



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



विषय विलंब

प्रतिफल की धनराशि- रु0 82,50,294 /-

बाजार मूल्य - रु0 23,73,300 /-

अदा किये गये जनरल स्टैम- रु0 5,77,600 /-

अभ्युक्त





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 2 -
- | | | | |
|----|----------------|---|--------|
| 1. | भूमि का प्रकार | - | कृषि |
| 2. | परगना | - | बिजनौर |
| 3. | ग्राम | - | बरौना |

आवकाश



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



-3-

4. सन्ध्याति का दिवस-भूमि खसरा संख्या 132 रकबा 0.790 हे० भूमि
खसरा संख्या 169 रकबा 0.089 हे० अर्थात् कुल विक्रीत रकबा
0.879 हे० स्थित ग्राम- बरौना, परगना बिजौली, सहस्रौल व जिला
लखनऊ।

अग्रपुकाश

का. २९



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 111123

B 810633

5. मापन की इकाई - हेक्टेअर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.879 हेक्टेअर
7. सड़क की स्थिति - सुल्तानपुर रोड व अमरशहीद पथ
से लगभग 200 मीटर से अधिक

अप्रकाश

अप्रकाश



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

2 210012

B 810832

8. सम्पत्ति का प्रकार - कृषि
9. पत्नों की स्थिति - नहीं
10. बोरिंग / कुआँ अवस्था - कुछ भी नहीं है।

अनुपम

कृषि



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

5 11 2021

B 810831

- 6 -

चौहदवी खसरा नं० 132

उत्तर : खसरा नं०-139, 121

दक्षिण : खसरा नं०- 133, 134

पूरव : खसरा नं०- 134, 136, 137

पश्चिम : खसरा नं०-118, 119

अधिका २१

२१



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 81084

वौहददी खसरा नं० 169

उत्तर : खसरा नं०-158

दक्षिण : खसरा नं०- 167, 168

पूरव : खसरा नं०- 157

पश्चिम : रेलवे लाइन

अथपुला 21



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

31/3/43

B 810843

09 APR 43

-8-

प्रथम पक्ष की संख्या- 1

द्वितीय पक्ष की संख्या- 1

दिक्केता का विवरण	केता का विवरण
कन्तू पुत्र सतान निवासी -ग्राम गौरजापुर मिटाही जिला फतेहपुर।	जय प्रकाश पुत्र राम किशुन निवासी ग्राम- 39 रेंवाड़ी, पसिया खेड़ा तहसील लालगंज, जिला रायबरेली।
व्यवसाय- कृषि	व्यवसाय- कृषि

अप्रकाश

अप्रकाश



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B-810842

29 APR 20

यह विषय विलेख कानून पुत्र सत्ता निवासी - ज्ञान विरजित
 भिदारी जिला कतेहपुर जिन्हे आगे विक्रेता कहा गया है (जिसके
 अन्तर्गत विक्रेता के विधिक उत्तराधिकारी वारिसान एवं निष्पादकरण
 सम्मिलित है)

अथ पृष्ठ 21



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 8108407

05 APR 20

- 10 -

एवम्

जय प्रकाश पुत्र राम किशुन निवासी ग्राम- 39 रेवाड़ी, पसिया

खेड़ा तहसील लालगंज, जिला रायबरेली जिन्हें आगे कैला कहा गया

जयप्रकाश

जय-प्र



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

8 2 2019

B-810839

09 APR 2019



है (जिसके अन्तर्गत जेता के विधिक उत्तराधिकारी, पारितान एवं निष्पादकरण सम्मिलित है) के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता मूनि खसरा संख्या 132 रकबा 0.790 हे० मूनि खसरा संख्या 159 रकबा 0.089 हे० अर्थात् कुल विक्रीत रकबा 0.

अप्रकाश

अ-क



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B-810838

1 मार्च

09 APR 2012

संलग्न न्यायिक
दस्तावेज

100

-12-

87980 स्थित ग्राम- बरीना परगना बिजनौर तहसील व जिला

तखनऊ का मालिक, कामिल व काबिल है तथा उपरोक्त सत्यापित

षट्वार्षिक खतीनी कम संख्या 00064 के अनुसार नूमि विक्रेता के नाम

संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है और विक्रेता के नाम का अनंत

स.स.

जयप्रकाश



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



दस्तावेज राजस्व अभिलेखा में हो गया है। विक्रेता पैसे की तत्काल आवश्यकता के कारण विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा केता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है। यह कि विक्रेता को उक्त भूमि को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण

अभिलेख

अ-2



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 810852

25 APR 20

- 14 -

भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है और उक्त भूमि सरलतल भूमि का हिस्सा नहीं है तथा उक्त भूमि सीलिंग, ग्राम समाज, भूदान व पट्टे की भूमि नहीं है। यह कि रिक्तता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार

(Signature)

अधपुष्पश



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 810851

21 APR 21

-15-

के भागों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उस इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिना, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है।

विक्रेता ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भाविष्य में निकलता है तो उसके

प्राप्त

अध्यापक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 810850

- 16 -
जिम्मेदार विक्रेता व उसके ज्ञातमान व विधिक उत्तराधिकारी होंगे।
उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी
कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है न ही कुर्वा
इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का

०५-६

अथपुकाश



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 810848

- 18 -

कैला द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करता है, तदनुसार सक्त विक्रेता सक्त कैला के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के

अग्रप्रकाश



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 810849

- 17 -

स्वतंत्र, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय
अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के
फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य रु0 82,50,294/- (रु0 ब्यासी लाख
पच्चास हजार दो सौ बीसनवे मात्र) के प्रतिफल में जिसका उपरोक्त

अथ पृथक्



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

23/11/12

B-810847

24 APR 2012



-19-

अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है. जो कहीं बेच दिया है, एवं
 विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मीक पर कब्जा केंता को बखूबी करा
 दिया गया है। अब उक्त जाराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का
 कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने

अथपुकरा

06/11/12



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B-810846

14 APR 1971



- 20 -

स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए कंता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब कंता विक्रयशुद्ध सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेता व

अभ्युक्ता

अभ्युक्ता



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B-810845,

20 APR 2017

-21-

उसके पारितान उसमें किसी प्रकार की अडचन बाधा नहीं डाल सकेंगे
एवं न ही कोई गान कर सकेंगे और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा
कोई भाग विक्रय के स्वामित्व में बुरि के कारण या कानूनी अडचन या
कानूनी बुरि के कारण कंटा या उसके पारितान निष्पादकगण इत्यादि

अपुष्प

अपुष्प



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B-81084+

09 APR 2012

- 22 -

की कब्र या अधिकार या स्वतन्त्र से निकल जाये तो केता उसके
 वारिसान, निश्चयकृष्ण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना
 समस्त नुकसान गय हज्जो व खर्चा, विक्राना की चल, अचल सम्पत्ति से

अधिकाग

कहू



-23-

जरिये अदालत वसूल कर लें। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके
भारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि विक्रेता यह भी घोषित करते हैं कि उक्त भूमि लखनऊ
विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

[Signature]

अप्रकाश



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA-838755

- 24 -

सखनाऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी तन्त्रा द्वारा
अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है।

यह कि केंद्रा विक्रयशुद्धा सम्पत्ति की दायित्व खारिज राज्यस्व
अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेतागण को कोई आपत्ति

जन्म

जन्म पुष्का 21



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 838754

-23-

न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख की पूर्ण का अमर कोई संकाया
 किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान
 य वहन करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

अमर

जयप्रकाश



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 838756

- 26 -

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम बरीना अर्धनगरीय क्षेत्र के

सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रु०

27,00,000/- प्रति हेक्टेअर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.879 हेक्टेअर

की मातियत रु० 23,73,300/- होती है तथा विक्रय मूल्य भूमि की

हस्ताक्षर

निपुणकाश



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 193084

हाजिर मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही
रु० 5,77,600/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। भूमि में कोई
पेड़ इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की आवासीय गतिविधिया
नहीं चल रही है व कोई नलकूप, कुआं भी नहीं है, तथा 200 मी० के

जपपुष्का 21



उत्तर प्रदेश UTIAR PRADESH

X 193083

- 28 -

क्षेत्राव्याप्त में कोई निर्माण नहीं है। विहीत भूमि किसी लिक मार्ग, राजमार्ग,
प जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विहीत भूमि सुल्तानपुर रोड से व
इमर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

मार्ग

जय प्रकाश



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 646534

20

विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति की सदस्य हैं। इस विक्रय

विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

अधिकांश

Dr. Ramesh
Dr. Ramesh
Dr. Ramesh

विशेष पत्र

8,250,294.00 / 2,373,300.00

10,000.00

20

10,020.00

1,000

कीमत निर्धारित

सकल व फीस शुल्क

घात

सकल लाभ

प्रतिफल प्रतिफल

श्री

कानू

पुत्र श्री

सतार

सामान्य कृषि

निवासी छात्र

आवासीय पत्र

ने यह केवल रूप से प्रस्तुत है

हरे निबन्धन हेतु पत्र किया।

ग्राम सीतलपुर गिटारी वि. फरीदपुर

दिनांक 18/4/2012

समय 2:11 PM

महोदय/महोदय प्रमुख के सम्मुख

पी. के. द्विवेदी

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

18/4/2012

निम्नलिखित लेखक/लेखिका का नाम/नामों का प्रयोग/प्रयोग के अभाव में

निकाला

केवल

श्री कानू

पुत्र श्री सतार

पेश कृषि

निवासी ग्राम सीतलपुर गिटारी वि. फरीदपुर

श्री जय प्रकाश

पुत्र श्री राम किशन

पेश कृषि

निवासी 39 रेवारी पसिया खेड़ा लखनऊ जिले

ने निम्नलिखित स्वीकार किया।

विशेष पत्र श्री सतार पाठक

पुत्र श्री अरिशंकर पाठक

केवल व्यापार

निवासी लखनऊ, लखनऊ

पुत्र श्री सतार

पुत्र श्री सतार

केवल व्यापार

निवासी लखनऊ, लखनऊ

ने यह।

पत्र/पत्रिका पर सविधि से विचार करने के बाद निम्नलिखित स्वीकार किया।

महोदय/महोदय प्रमुख के सम्मुख

पी. के. द्विवेदी

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

18/4/2012



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AZ 908297

- 30 -

लिहाजा यह विक्रय पत्र विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में बिना
किसी जोर व दबाव के स्वस्थ चित्त मन से समक्ष गवाहान लिख
दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पड़ने पर काम आवे।

ॐ

अप्रतिकाश

12/01/12
अपुष्पक
विप्रेता

Registration No: 7426

Year: 2012

Book No:

0101 कन्द

समाप्त

राज नारायण विद्यापीठ, कोल्हापूर

द्वि



परिशिष्ट: भुगतान विवरण

1. विक्रेता को रु0 82,50,294/- नगद अभीष्ट डेवलपर्स एण्ड प्रा0 लि0 के द्वारा प्राप्त हुए। जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करता है।

इस प्रकार विक्रेता को कुल विक्रय मूल्य रु0 82,50,294/- (रु0 ब्यासी लाख पच्चास हजार दो सौ बीसनवे मात्र) केता से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करता है तथा अब कोई भी धनराशि विक्रेता को केता से लेना शेष नहीं है।

लखनऊ:

दिनांक : 18.04.2012

गवाह :-

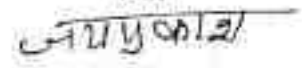
1. 
पंकज सिंह
एरिडिक्टर पाठक
लाल गाना (करकंद)


विक्रेता



के

2. 
पंकज सिंह
एरिडिक्टर पाठक
लाल गाना (करकंद)

केता




टाईपकर्ता


(लवलेंद्र सिंह)
सिविल कोर्ट लखनऊ

मसविदाकर्ता


(विवेक कुमार सिंह)
एडवोकेट
सिविल कोर्ट लखनऊ

केदा

Registration No. : 7426

Year : 2012

Book No. : 1

0201 जय प्रकाश

शम सिंग

39 रेकॉर्ड कालिका सेवा जलपान रावबेदी

कृषि



ग्राम - चरिना परगना - बिजौर, तहसील
खरस शंखवा -
रकवा -

जिला - जलम



बिजौर
३१

बिला
जयपुरकाठा

आज दिनांक 18/04/2012 को

पृष्ठ सं. 1 जिल्द सं. 14110

पृष्ठ सं. 49 से 112 पर क्रमांक 7426

संशुद्धीकृत किया गया ।

संशुद्धीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


पी. के. शिवेदी

तप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

18/4/2012